न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 205/2024

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. भवानीदान पुत्र नखतुदान 2. नखतुदान पुत्र माधुदान (जाति चारण, निवासी बालेवा, तह0 गडरारोड़, जिला बाडमेर)		1. कुमेरदान पुत्र हेतुदान 2. करणीदान पुत्र हेतुदान 3. जेठूदान पुत्र हेतुदान 4. जोरो पत्नी हेतुदान 5. बाबूदान पुत्र हेतुदान (जाति चारण, निवासी बालेवा, तह0 गड़रारोड, जिला बाडमेर) 6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार गड़रारोड़, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गडरारोड राजस्व आवेदन/मुकदमा नं0 38/2024 आदेश दिनांक 16.04.2024

उपस्थिति –
1. श्री सुगनमल पहिरहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री मोहनलाल खत्री वकील रेस्पो0 सं0 1 से 4
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6 की ओर से
4. रेस्पो0सं0 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 12.09.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0–कुमेरदान वगैरा ने विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील गडरारोड के ग्राम बालेवा स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 627 रकबा 9.3725 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी खसरा नं0 626 का रेकर्डेड संयुक्त खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र में जल्दबाजी करते हुए मनमाना आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.3.24 को दर्ज कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.24 नीयत की गई व उसी दिन फैसल कर दी गई। अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का नोटिस तक नही मिला व निर्णय में अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल गैर हाजिर लिख दिया गया। आलोच्य प्रकरण में रेस्पो0 की भूमि खसरा नं0 627 में से बाद में सड़क निकाली गई व कुछ रकबा सड़क में चला गया। फिर सड़क के दूसरी तरफ खसरा नं0 627 का जो भाग रहा, वह नवसर्जित राजस्व ग्राम चारणों की ढाणी में चला गया व उसका खसरा नं0 492 कायम किया गया। रेस्पो0 पत्थरगढी की आड़ में गलत पेमाईश रिपोर्ट तैयार करवा कर सड़क में गई भूमि की भरपाई अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 626 में से करना चाहता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 626 के सभी खातेदारों को न तो पक्षकार बनाया गया व न ही उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान नक्शें को आधार मानकर पेमाईश करने एवं पत्थरगढी करने का विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 गलत पेमाईश रिपोर्ट तैयार करवाकर अपीलार्थी के खसरान में स्थित नलकूप हड़पना चाहते है। जबकि आरएलआर एक्ट की धारा 128 के प्रावधानों के तहत अविवादित पेमाईश रिपोर्ट के बिना पत्थरगढी का कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवाये गये है। जिसमें विप्रार्थी सं0 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, शेष विप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी–रेस्पो0 विवादित

खसरा नं0 627 भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा व सुरक्षा हेतु नेखमबंदी करवाना चाहता है। विचारण न्यायालय में विप्रार्थी सं0 16 के अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि की पेमाईश वक्त सेटलमेंट के सीमा चिन्ह यथा सुरी, कुआ आदि से प्रचलित नाप जरीब से करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर इसके माफिक नेखमबंदी हेतु आदेश पारित किया गया। मौका फर्द दिनांक 26.6.24 के अनुसार मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना में रूबरू मौतबिरान नेखमबंदी की जा चुकी है। अतः अपील अपीलांट औचित्यहीन होने से खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तामिल करवाये गये, जिनमें विप्रार्थी सं0 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय में विप्रार्थी सं0 16 के अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि की पेमाईश वक्त सेटलमेंट के सीमा चिन्ह यथा सुरी, कुआ आदि से प्रचलित नाप जरीब से करवाने हेतु आग्रह किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर इसके माफिक नेखमबंदी हेतु आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका फर्द दिनांक 26.6.24 के अनुसार मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना में रूबरू मौतबिरान नेखमबंदी की जा चुकी है। अतः अपील अपीलांट औचित्यहीन पायी जाने से खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन व औचित्यहीन पायी जाने से तद्नुसार खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन/मुकदमा नम्बर 38/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2024 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर